इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनांक 01/07/2017 मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुपालन में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण/नगर निगम/प्रशासन के द्वारा अतिक्रमणों के विरूद्ध चलाये जा रहे संयुक्त अभियान के क्रम में पोगहट पुल–बमरौली से मुडेरा (टी0पी0नगर) एवं धर्मवीर मार्ग तक सड़क पटरियों नाला, नाली के उपर से 07 रैम्प, 11 टीन सेड, 02 बांस–बल्ली के टट्टर, 01 गुमटी, 03 बोर्ड हटया गया तथा अतिक्रमणकर्ताओं से रूपया 6.000,00(छह हजार रूपये) का जुर्माना भी वसूला गया।

इस कार्यवाही में एडीए से विशेष कार्याधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय, क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/भवन निरीक्षक, अपर नगर मजिस्ट्रेट, नगर निगम से जोनल अधिकारी नजूल विभाग के समस्त जिलेदार अतिक्रमण उन्मूलन के अतिरिक्त पुलिस/पी0ए0सी0 बल एवं एडीए प्रवर्तन दल मौजूद रहे।

इसी क्रम में अनाधिकृत निर्माणों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही निम्नवत् है–

जोन संख्या–01 में जोनल अधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में 01 चालान किया गया।

जोन संख्या–02 व 04 में जोनल अधिकारी/अपर सचिव श्री गुडाकेश शर्मा के नेतृत्व में 02 चालान 03 नोटिस निर्गत की गयी।

जोन संख्या–03 व 06 में जोनल अधिकारी श्री सत शुक्ला के नेतृत्व में 05 चालान, 04 नोटिस, निर्गत की गयी।

जोन संख्या–05 में जोनल अधिकारी श्री पी0एन0यादव के नेतृत्व में 02 चालान किया गया।

इस प्रकार कुल 10 चालान 07 नोटिस निर्गत की गयी।

उक्त कार्यवाही में जोनल अधिकारियों के अतिरिक्त क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/भवन निरीक्षक एडीए प्रवर्तन दल एवं पुलिस बल उपस्थित रहे।

(पी0एन0यादव)
प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद,

प्रतिलिपि : सम्पादक– समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

01.07.17

प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क